Government of India
India Meteorological Department
O/o Dy. Dir. Gen. of Meteorology
Regional Meteorological Centre
Airport, Nagpur (M.S.) - 440 005
Phone: 0712–2282397 / 2282398 / 2283394

भारत सरकार
भारत मौसम विज्ञान विभाग
उपमहानिदेशक का कार्यालय
प्रादेशिक मौसम केन्द्र
विमानतल, नागपुर 440 005
फेक्स : 2284266 /2282157 /2288554

File no. CT/SUPDT/RU-Dt.09.01.2025 Email-ru.agro@gmail.com

विषय: भारत मौसम विज्ञान विभाग के स्थापना के 150 वर्ष के समापन समारोह हेतु निविदा आमंत्रण।

प्रादेशिक मौसम केंद्र, नागपुर द्वारा कार्यालय के उपरोक्त विषय में कार्यक्रम आयोजित करने हेतु निम्नलिखित विषयों पर निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं।

1) कार्यालय भवन के दि 14 एवं 15 January 2025 को विद्युत् रोशनाई (lighting & decoration) एवं मंडप संरचना (मंच सहित 150 अतिथियों के बैठने की व्यवस्था) हेतु निविदा आमंत्रण।
2) कार्यक्रम में सम्मिलित अतिथियों के अल्पाहार(100) एवं खानपान(150) हेतु निविदा आमंत्रण।
3) "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत एक सौ पौधों के मांग हेतु निविदा आमंत्रण।

इच्छुक पार्टी निविदा को सीलबंद कवर में – अनुभाग अधिकारी, आरयु, प्रादेशिक मौसम केंद्र, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर विमानतल, नागपुर- 440005 के नाम से भेज सकते हैं। बंद निविदा लिफ़ाफ़े, जिस पर "**भारत मौसम विज्ञान विभाग के स्थापना के 150 वर्ष के समापन समारोह हेतु निविदा**" स्पष्ट लिखित हो, कार्यालयीन समय 10:00 बजे से 17:00 बजे के बीच आखिरी दिनांक 10.01.25 तक जमा किए जा सकते हैं।

नियम व शर्तें:

1. आवेदक कंपनी को 02 साल का अनुभव होना चाहिए।
2. कार्य दर कम से कम 90 दिनों के लिए वैध होनी चाहिए।
3. निविदा में किसी अन्य शुल्क का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।
4. कार्यालय द्वारा किसी प्रकार के वाहन खर्च का भुगतान नहीं किया जाएगा।
5. कार्यादेश जारी होने के के उपरांत निर्धारित दिनांक को कार्य पूरा हो जाना चाहिए।
6. उपमहानिदेशक, प्रादेशिक मौसम केंद्र नागपुर को बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
7. किसी भी विवाद की स्थिति में उपमहानिदेशक, प्रादेशिक मौसम केंद्र नागपुर का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा । मध्यस्थता का क्षेत्राधिकार नागपुर में है और उपमहानिदेशक, प्रादेशिक मौसम केंद्र नागपुर एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेगा।
8. उपरोक्त कार्यक्रम पूर्ण होने के एक महीने के भीतर संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्यशीलता सही प्रमाणित होने के बाद भुगतान किया जाएगा।
9. किसी भी स्थिति में शुल्क में कोई बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कृते प्रमुख
प्रा.मौ.केंद्र, नागपुर